



2026:AHC:17403

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44806/2025

समीम कुरैशी उर्फ समीर उर्फ सोनू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अजीत कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अरिमर्दन यादव, राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान एजीए को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक समीम कुरैशी उर्फ समीर उर्फ सोनू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 313/2025, धारा 109 भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3/25, 5/27 शस्त्र अधिनियम, थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया में पंजीकृत प्रकरण में जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में झूठा फँसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यह पुलिस फायरिंग का मामला है जिसमें किसी को कोई चोट नहीं आई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है और पुलिस ने आवेदक के कब्जे से एक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवैध तमंचे की फर्जी बरामदगी दिखाई है। उन्होंने यह भी कहा कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। वर्तमान मामले में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका या हेतुक नहीं दर्शाया गया है। आवेदक दिनांक 16.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक के चार मामलों के आपराधिक इतिहास को पूरक शपथ-पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। जमानत पर अवमुक्त होने की स्थिति में उसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत हेतु मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **समीम कुरैशी** उर्फ **समीर** उर्फ **सोनू** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए –

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्ष्यों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

27 जनवरी, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।